Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 48: Goods and services tax Practitioners

- (1) The manner of approval of goods and services tax practitioners, their eligibility conditions, duties and obligations, manner of removal and other conditions relevant for their functioning shall be such as may be prescribed.
- (2) A registered person may authorise an approved goods and services tax practitioner to furnish the details of outward supplies under section 37 ¹[****] and the return under section 39 or section 44 or section 45 ²[and to perform such other functions] in such manner as may be prescribed.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the responsibility for correctness of any particulars furnished in the return or other details filed by the goods and services tax practitioners shall continue to rest with the registered person on whose behalf such return and details are furnished.

1 The words and figures ", the details of inward supplies under section 38" omitted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

² Inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

धारा 48 : माल और सेवा कर व्यवसायी

- (1) माल और सेवा कर व्यवसायियों के अनुमोदन की रीति, उनकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य और बाध्यताएं, उन्हें हटाने की रीति तथा अन्य ऐसी शर्तें जो उनके कार्यकरण के लिए सुसंगत हैं, वे होंगी, जो विहित की जाएं।
- (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा 37 के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे ¹[......] और धारा 39 या धारा 44 या 45 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए ²[और ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए] प्राधिकृत कर सकेगा।
- (3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल और सेवा कर व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी में प्रस्तुत किसी विशिष्ट या फाइल किए गए अन्य ब्यौरों के सही होने का उत्तरदायित्व उस रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति पर होगा जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और ब्यौरे प्रस्तुत किए गए है।

¹ वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा", धारा 38 के अधीन आवक पूर्तियों के ब्यौरे" विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

² सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।